न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 71 / 2017 (राजसमन्द डिक्री)

शंकरलाल पिता हजारीलाल जी, जाति बलाई (सालवी), निवासी काबरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. मंजू पिता मोहनलाल जी, जाति बलाई (सालवी), निवासी काबरा, हाल निवासी छडंगा का खेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. भगुडी पिता मोहनलाल जी बलाई (सालवी) पत्नी प्रभू जी बलाई, निवासी काबरा, हाल निवासी चारणा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 रा0 का0
अ0–1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा दिनांक
27.09.2017 प्रकरण सं. 416 / 2010

———::———

उपस्थित (वक्तबहस) 1. श्री प्रकाश चन्द्र खटीक अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री उदयलाल कुमावत अभिभाषक रेस्पो. सं. 1
3. राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3

———::———

निर्णय **दिनांक 18–06–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीया / रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 2 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजियात वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित कुल किता 7 रकबा 12

बीघा 11 बिस्वा भूमि ग्राम काबरा में स्थित है, जो मौरूसी होकर वादिया व प्रतिवादी संख्या 2 को उनके पिता मोहनलाल जी को अपने पिता खेमाजी बलाई से तथा खेमा जी को उनके पिता उंकार पिता मोती बलाई से प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार विवादित भूमियां मौरूसी होने से विरासत से वादिया व प्रतिवादी संख्या 2 उत्तराधिकारिणी के रूप में प्राप्त हुई है। वादिया व प्रतिवादी संख्या 2 दोनों सगी बहने होकर स्वर्गीय मोहनलाल की पुत्रियां हैं। मोहनलाल का देहान्त दिनांक 05–01–2004 को ग्राम काबरा में हुआ। उक्त भूमियां मौरूसी होने से वादिया व प्रतिवादी संख्या 2 का समान हक होकर मोहनलाल जी की एक मात्र उत्तराधिरिणी हैं, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने तथाकथित वसीतय पत्र दिनांक 23–04–2003 से उक्त भूमियां अपने नाम करवा ली हैं, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है एवं उक्त वसीयत वादिया व प्रतिवादी संख्या 2 के मुकाबले शून्य व बेअसर है। अभी कुछ दिनों पूर्व वादिया अपने पीहर गयी तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादिया को एलानियां धमकी दी एवं कहा की सारी भूमियां उसके नाम हो गयी हैं तेरे पिता ने मुझे वसीयत की है, जिस पर वादिया ने नकले निकलवाई एवं दावा प्रस्तुत किया है। अतएवं वाद वर्णित भूमियों का वादिया व प्रतिवादी संख्या 2 के मध्य हिस्सेनुसार विधिवत विभाजन किया जाकर खातेदार घोषित किया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

उक्त वाद के खण्डन का जवाब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मोहनलाल जी ने अपने जीवनकाल में दिनांक 23–04–2003 को रजिस्टर्ड वसीयत प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में की है, जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त भूमियों के खातेदार व आधिपत्यधारी हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन हुआ तो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 बना जो दिनांक 09–09–2005 को प्रभावी हुआ, जिसकी धारा 6 में यह वर्णित किया गया है कि पुत्रियों को भी पुत्र की समान हक व अधिकार सहदायिकी भूमियों में होगा, लेकिन इसी धारा की परन्तुक में यह वर्णित कर रखा है कि इस उपधारा में अर्न्तविष्ट कोई बात सम्पत्ति के किसी विभाजन अथवा वसीयती व्ययन को सम्मिलित करते हुए ऐसे व्ययन अथवा अन्य संक्रामण को प्रभावित या अविधि मान्य नहीं करेंगी जो 20 दिसम्बर 2004 से पहले का हो। इस प्रकरण में वसीयत उक्त दिनांक से पूर्व की होने से वादिया का उक्त सम्पत्तियों में कानून कोई हक

व अधिकार नहीं है। विशेष कथन में भी वादिया के वाद को विधि विरूद्ध होना हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन के बरूऐ बनाया गया है।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 4 तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादिया व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में दोनों ही स्वर्गीय मोहनलाल की पुत्रियां होने से वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमियों में अपने हिस्से की भूमियों की स्वत्व घोषणा की डिक्री प्राप्त करने की वादिया अधिकारी हैं ?.....वादीया
2. आया घोषणा पश्चात वादीया विभाजन एवं निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने की अधिकारी है ?.....वादीया
3. आया प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रस्त भूमियां वसीयत से प्राप्त होने से वादीया का वाद चलने योग्य नहीं है ?.....प्रतिवादी संख्या 1
4. अनुतोष ?

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्या सबूतों के आधार पर बहस सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 27–09–2017 से वादिया का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उसे 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 10–11–2017 को पेश की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री उदयलाल कुमावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने

अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यात्मक व विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण है। मोहनलाल जी द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत अपीलान्ट के पक्ष में की गयी है। रेस्पोन्डेन्ट एवं अपीलान्ट के पूर्वज उंकार जी के पांत्र पुत्र कजोड, किशोर, गणेश, खेमा व हजारी हुए। हजारी का पुत्र शंकारलाल अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 है। उक्त पांचों भाईयों के मध्य विभाजन होकर खेमा जी के हिस्से में आयी भूमि उसके पुत्र मोहनलाल को प्राप्त हुई है। मोहनलाल जी ने अपने भाई हजारी के पुत्र अपीलान्ट शंकरलाल के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 23–04–2003 को निष्पादित कर दी, जो मोहनलाल जी द्वारा शंकरलाल की सेवा चाकरी से खुश होकर की गयी है। वादिया यदि वसीयत को गलत मानती है तो उसे पहले सिविल न्यायालय से शून्य एवं शून्यकरणीय घोषित कराना चाहिए। जब तक रजिस्टर्ड वसीयत को शून्य अथवा शून्यकरणीय घोषित नहीं कर दिया जाता तब तक राजस्व न्यायालय में वाद चलने योग्य नहीं है। अधिनस्थ न्यायलय ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में हुए संशोधन पर बिना विचार किये निर्णय पारित किया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात एवं बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने तनकी संख्या 1 के विवेचन में जो की मौलिक तनकी है, उसका त्रुटि पूर्ण निर्णय किया है। प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि अपीलान्ट के पक्ष में पंजीकृत वसीयत की गयी है। यदि यह भूमि मौरूसी भी है तो भी वसीयत वर्ष 2003 में निष्पादित हुई है तथा वसीयतकर्ता की मृत्यु 2004 में हुई है। वसीयत को निरस्त किये जाने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्ष 2005 में हुए संशोधन अनुसार 2005 से पूर्व के प्रकरणों में पुत्रियों का कोपार्शनर के रूप में कोई अधिकार नहीं होता। प्रकरण में यह भी सुस्पष्ट है कि मौरूसी भूमियों का विभाजन होकर भूमियां सुस्पष्ट रूप से वादिया/रेस्पोन्डेन्ट के पिता मोहनलाल को एकल रूप से प्राप्त हुई हैं, तद्नुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में हुए संशोधन को भूतलक्षी रूप से लागू किये जाने के लिए संबंधित संशोधन में ही निषेध कर

दिया गया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में सुस्पष्ट रूप से वर्ष 2005 के पूर्व के प्रकरणों में जहां विभाजन अथवा वसीयती उत्तराधिकार प्राप्त हो चुके हैं, उन प्रकरणों में पुत्रियों को कोपार्सनर नहीं मानने के व्यक्त प्रावधान उपलब्ध हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस आशय की प्लीडिंग होने एवं साक्ष्यों से इस तथ्य को बखूबी प्रमाणित होने के बावजूद अनाधिकृत रूप से वादिया का वाद आंशिक रूप से डिक्री कर दिया है, जो तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–09–2017 अपास्त की जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 18–06–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

शंकरलाल पिता हजारीलाल बलाई (सालवी), निवासी काबरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द। बनाम **मंजू पिता मोहनलाल बलाई(सालवी) निवासी काबरा हाल निवासी छडंगा का खेड़ा, तहसील रेलमगरा व अन्य**

अपील नं.....**71 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**रेलमगरा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....27**.....माह.....**09**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**18**.....माह.....**06**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री प्रकाश चन्द्र खटीक**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री उदयलाल कुमावत**..

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–09–2017 अपास्त की जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**18**.....माह.....**06**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।